Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VI, Issue XII, October-2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

महिला उत्थान के सन्दर्भ में गांधी जी के विचार

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VI, Issue XII, October-2013, ISSN 2230-7540

महिला उत्थान के सन्दर्भ में गांधी जी के विचार

Dr. Randhir Singh

Asst. Professor (Seth Tek Chand College of Education) Rattan Dera (Kurukshetra)

----------♦----------

3.1 महिलाओं की स्थिति पर गांधी जी की प्रतिक्रिया –

आधुनिक भारत में गांधी जी के पहले ही कुछ सुधारकों के व्यक्तिगत प्रयासों तथा कई सुधार संगठनों द्वारा किये गए कार्यों के परिणामस्वरूप स्त्रियों के उद्धार की समस्या के प्रति पर्याप्त जनचेतना उत्पन्न हो चुकी थी। गांधी जी ने इसे नयी स्फूर्ति एवं उत्साह प्रदान किया। स्त्रियों के संबंध में गाधीजी के दृष्टिकोण को उनके सामान्य जीवन दर्शन के संदर्भ में रख कर ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। अहिंसा और सत्य पर आधारित इस जीवन दर्शन में किसी प्रकार के भेदभाव अथवा ऊँच–नीच की भावना के लिए स्थान नहीं है।

गांधीजी महिलाओं के पुनरूत्थान के बहुत बड़े हिमायती थे। उनके चर्खा, नशाबन्दी, ग्रामोत्थान, तथा हरिजनों और महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रमों ने राजनीतिक दासता के विरूद्ध संघर्ष के लिये एक मजबूत आधार तैयार किया। इस संघर्ष में उन्होंने महिलाओं को पुरूषों के बराबर का हिस्सेदार बनाया। किसी भी रूढ़िवादी समाज में महिलाओं के उद्धार का काम कोई सरल नहीं हुआ करता। महात्मा गांधी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा विधवाओं के प्रति होने वाले क्रूर अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाई।

नारी की दयनीय स्थिति गांधी जी को बुरी तरह खली। उन्होंने देखा की नारी में आत्मबलिदान की, त्याग की, सहिष्णुता की, कष्ट–सहन की क्षमता थी, परंतु पुरूषों ने उसे दासी बनाकर उसकी उपेक्षा और अवहेलना की हद कर दी। साहस, शूरता और वीरता की तो बात ही क्या बेचारी आत्मरक्षा में भी समर्थ नहीं थी। उनका मानना था कि नारी पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर ना लगाया हो। लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार जब तक नारी इस शोचनीय स्थिति में पड़ी रहेगी तब तक न तो नारी का उद्धार होगा और न कल्याण होगा, न नर का न तो सारे समाज की स्थिति सुधरेगी न देश या राष्ट्र की।

वे यह विश्वास करते थे कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन पर परमपद प्राप्त कर सकता था। इसलिए जहां भी जिस वृत्ति में रहे हमें अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। प्रकृति ने परिवार के पालन एवं रक्षण के लिए पुरूष को समर्थ बनाया। स्त्री प्रकृति से ही परिवार की माता के रूप में बच्चों का लालन– पालन करने तथा गृहस्थी का गुरूत्तर भार उठाने के योग्य बनी है। अतः स्त्री और पुरूष एक दूसरे के पूरक है। दोनों के परस्पर सक्रिय सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है। मानव–सृष्टि एवं विकास के लिए दोनों का महत्व बिलकुल बराबर है।

अपने पत्र यंग इंडिया में उन्होंने लिखा, 'पुरूषों द्वारा स्वनिर्मित सम्पूर्ण बुराईयों में सबसे घृणित, विभत्स व विकृत बुराई है। उसके द्वारा मानवता के आधे हिस्से (जो कि मेरे लिए स्त्री जाति है न कि कमजोर व पिछड़ी जाति) को उसके न्यायसंगत अधिकार से वंचित करना। यदि मैं स्त्री रूप में पैदा होता तो मैं पुरूषों द्वारा थोपें गए किसी भी अन्याय का जमकर विरोध करता तथा उनके खिलाफ विद्रोह का झण्डा बुलंद करता।

गांधी जी स्त्रियों के अधिकार के बारे में लिखते हैं कि ''पुरूष नारी जाति पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें देख देखकर व्यग्र होने के लिए मेरा लड़की होना आवश्यक नहीं है। अत्याचारों की सूची में विरासत सम्बंधी कानून को मैं सबसे आखिरी दर्जे की चीज मानता हूं। शारदा बिल जिस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करता है, वह विरासत– सम्बन्धी कानून से व्यंजित होने वाली बुराई से कहीं अधिक भयंकर और गंभीर है। लेकिन स्त्रियों के अधिकार के बारे में मैं जरा भी झुकने को तैयार नहीं हूं। मेरी राय में स्त्री पर ऐसी किसी कानूनी निर्योग्यता का बोझ नहीं होना चाहिए जिससे पुरूष मुक्त है। मैं लड़के और लड़की के प्रति हर तरह से भेदभाव रहित समान व्यवहार करना चाहूंगा। जैसे–जैसे स्त्री जाति को शिक्षा द्वारा अपनी शक्ति का भान होता जायेगा, जैसा कि होना भी चाहिए, वैसे–वैसे उसके साथ जो असमान व्यवहार आज किया जाता है, उसका वह स्वभावतः अधिकाधिक उग्र विरोध करेगी। यद्यपि मैं इस बात का हमेशा समर्थन करूंगा कि स्त्री जाति पर से सभी कानूनी निर्योग्यताएं हटा दी जानी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि भारत की पढ़ी–लिखी, सुशिक्षित बहने इस व्याधि के मूल कारण को मिटाने के लिए प्रयत्न करें। स्त्री त्याग और तपस्या की साक्षात् मूर्ति है और सार्वजनिक जीवन में उसके प्रवेश में उसमें पवित्रता आनी चाहिए। युगों से चली आ रही पुरानी बुराईयों को खोज निकालना और उन्हें नष्ट करना जागरूक स्त्रियों का ही विशेषाधिकार होना चाहिए।''

स्त्रियों की दुरावस्था का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त अज्ञान तथा शिक्षा का अभाव था। इसकी जड़ में पर्दा प्रथा थी जो महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर बांधे रखती थी। गांधी जी इसे बड़ा लचर तर्क मानते थे कि पर्दा स्त्रियों की चारित्रिक पवित्रता बनाये रखने में सहायक है। पर्दे की कुप्रथा पर अपने विचार रखते हुए वे लिखते हैं कि ''कोई बात प्राचीन है इसलिए वह अच्छी है ऐसा मानना बहुत गलत है। यदि प्राचीन सब अच्छा ही होता तो पाप कम प्राचीन नहीं है। परन्तु चाहे जितना भी प्राचीन हो पाप त्याज्य ही रहेगा। उसी तरह पर्दा कितना ही प्राचीन हो आज बुद्धि उसको कबुल नहीं कर सकती। पर्दे से होने वाली हानि स्वयं सिद्ध है। जैसा की बहुत सी बातों का किया जाता है, उसी प्रकार पर्दे का कोई आदर्श अर्थ करके उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। आज पर्दा–प्रथा जिस हालत में है, वर्तमान उसका समर्थन करना असम्भव है।'' आगे वे कहते हैं:– ''सच्ची बात तो यह है कि पर्दा कोई बाहय वस्तु नहीं है, वह एक आन्तरिक वस्तु है। बाहय पर्दा करने वाली कितनी ही

www.ignited.in

स्त्रियां निर्लज्ज पाई जाती है। जो बाह्य रूप से पर्दा नहीं करती, परन्तु जिसने आन्तरिक लज्जा कभी नहीं छोड़ी है, वह स्त्री पूजनीय है। ऐसी स्त्रियां आज जगत में मौजूद हैं। जड़ता के वशीभूत होकर हम सभी प्राचीन कुप्रथाओं का समर्थन करने को तत्पर हो जाते हैं। हमारी यह जड़ता हमारी उन्नति को रोकती है। यही जड़ता स्वराज्य की दिशा में हमारी प्रगति में रूकावट डालती है।

गांधी जी ने समाज और देश को रसातल में पहुंचाने वाले बाल विवाह को विवाह मानने से इंकार किया। बाल विवाह के समर्थन में 'यंग इंडिया' के एक पाठक द्वारा लिखे गये पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी ने लिखा है कि 'लड़कियों के बाल विवाह की कम उम्र के विवाह की नहीं, क्योंकि इसमें तो 25 वर्ष के पूर्व किया गया हर विवाह आता है। आज्ञा देने वाले ग्रन्थ भी प्रामाणिक पाये जायें, तो हमें चाहिए कि हम प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान को दृष्टि में रखकर उनका त्याग कर दें। मैं लेखक के इस कथन की सच्चाई पर सन्देह प्रकट करता हूं कि लड़कियों के बाल विवाह की प्रथा हिन्दू समाज में सर्वत्र प्रचलित है। अगर यह बात सच है कि लाखों बालिकाएं बचपन में ही विवाहिता हो जाती है यानि पत्नियों की तरह रहने लगती है तो मुझे बहुत दुख होगा। यदि हिन्दू समाज में लाखों कन्याएं ग्यारह वर्ष की अवस्था में पति–समागम करतीं होती तो हिन्दू जाति कभी की नष्ट हो गई होती।''

भारतीय नारी का जीवन जिन विविध विकारों से संकटग्रस्त था, उसमें सर्वाधिक गम्भीर विकार विधवाओं की स्थिति से सम्बन्धित था। यह समस्या कन्याओं की अल्प आयु में विवाह कर दिये जाने की परिपाटी से गहरी जुड़ी थी। कच्ची उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। जबकि वह विवाह का अर्थ तक समझने में असमर्थ थी। सदियों से विधवाएं नारकीय जीवन जी रही थीं, जिसमें अपमान और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

यह समस्या इतनी विकट थी कि सभी समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का प्रतिपादन किया तथा जनचेतना के परिष्कार द्वारा इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया।

गांधी जी का सामान्य रूप में विधवाओं के पुनर्विवाह पर आग्रह नहीं था, प्रत्युत उन्होंने बाल विधवाओं की समस्या अपना ध्यान केन्द्रित किया। इन्हें वे ''दमित मानवता'' का जीता जागता प्रतीक कहते थे। उनके विचार में केवल उसी विवाह को पवित्र कहा जा सकता है जिसमें विवाह के समय कन्या पूर्ण विकसित हो। उन्होंने कहा कि ''मुझे बाल विवाह से घोर घृणा है। बाल विधवा को देखकर मैं कांप उठता हूं और उस समय क्रोध से अभिभूत हो जाता हूं जब कोई व्यक्ति पत्नी की मृत्यु होते ही सर्वदा उदासीन भाव से दूसरा विवाह कर लेता है। मुझे उन माता–पिताओं पर क्षोभ होता है जो उन्हें केवल किसी कमाऊ व्यक्ति से विवाह कर देने के लिए पालते हैं। लडकी के विधवा हो जाने पर इन माता–पिताओं को उसका पुनर्विवाह कर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए।''

आन्ध्रप्रदेश की यात्रा के दौरान एक अल्पव्यस्क विधवा से गांधी जी की भेंट की घटना उल्लेखनीय है। ' जब वे बजवाड़ा से एल्लोर की ओर जा रहे थे तो उन्हें बताया गया कि एक लड़की जो हाल ही में विधवा हुई थी उन्हें अपने सारे आभूषण भेंट करना चाहती थी और उन्हें गांव में स्थित अपने घर भी ले जाना चाहती थी। उसकी जाति के लोग पर्दा प्रथा के कायल थे और हाल ही में विधवा हुई लड़की खासकर सार्वजनिक सभा में तो आने का साहस नहीं कर सकती थी। आभूषणों का उसे कोई मोह नहीं था। सूचना देने वालों ने जब यह बताया कि विधवा लड़की सम्भवतः अपने सारे बहुमूल्य जेवर देना चाहती थी तो गांधी जी को उस पर यकीन नहीं आया। फिर भी वे उसके घर गये। लड़की का नाम सत्यवती देवी था। उन्होंने लड़की से कहा कि तुम्हें केवल इस कारण कि तुम एक विधवा हो, अपने आभूषण उतार फेंकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह दृढ़ रही। उसके लिए अब वे आभूषण किसी काम के नहीं थे।

यही वजह थी कि पेडापाडु में दिया गया उनका भाषण सत्यवती देवी को समर्पित था। उन्होंने श्रोताओं से कहा, ''आपका कर्तव्य है कि आप पर्दा–प्रथा को तोड़े और यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है तो इस काम में उसके माता–पिता की मदद करें। यदि 18 वर्ष का नौजवान विधुर पुनर्विवाह कर सकता है तो फिर उसी उम्र की एक विधवा को यह अधिकार क्यों न मिले? स्वेच्छया ग्रहण किया गया वैधव्य राष्ट्र की महान सम्पत्ति होती है, लेकिन जबरदस्ती अनजाने में थोपा गया वैधव्य एक कलंक है। हिन्दू समाज को ऐसी विधवाओं के लिए वे जब चाहें तब पुनर्विवाह करने का रास्ता बिलकुल खोल देना चाहिए। सत्यवती की घटना हजारों हिन्दू घरों में हर रोज घटित होती है। उन सभी विधवाओं का शाप जो पुनर्विवाह की इच्छा से अन्दर ही अन्दर जलती रहती है लेकिन क्रूर रीति–रिवाजों के डर से वैसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती''। हिन्दू समाज पर तब तब लगता रहेगा जब तक कि वह समाज विधवाओं को अक्षम्य दासता में जकड़े रहेगा''।

विधवा–विवाह के विषय में गांधी जी के दृष्टिकोण को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि गांधी जी स्वयं आवश्यक रूप से विधवाओं के विवाह के समर्थक नहीं थे। उनका संघर्ष उस व्यवस्था के विरूद्ध था जिसमें बाल विधवाओं का जन्म होता था, जिन्हें वे हिन्दू धर्म का कलंक मानते थे। वस्तुतः उनका संघर्ष विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रति अभिप्रेत न होकर बाल विवाह के उन्मूलन के प्रति केन्द्रित था।

दहेज प्रथा भी गांधी जी के आक्रमण का निशाना थी। उनके अनुसार लड़कियों के लिए यह बेहतर है कि वे आजीवन अविवाहित रह जाएं, न की एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर लें जो दहेज मांग कर उनका अपमान करता हो। जिन शादियों में दहेज मांगा जाए उनमें प्यार हो ही नहीं सकता। उनका कथन था कि इस प्रथा का जाति प्रथा से घनिष्ठ संबन्ध है जब तक चयन का क्षेत्र किसी जाति–विशेष के कुछ सौ युवा लड़के अथवा लड़कियों तक सीमित रहेगा, दहेज प्रथा कायम रहेगी, भले ही उसके विरोध में कितनी ही आवाज उठाइ जाए। अगर इस बुराई का उन्मूलन करना है तो लड़के–लड़कियों या उनके माता–पिताओं को जाति के बंधन तोड़ने होंगे। इसके लिए हमारी शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र की युवा पीढ़ी की मानसिकता में क्रांति ला दें।

दहेज की प्रथा के सम्बन्ध में गांधी जी लिखते हैं कि, ''इसमें सन्देह नहीं कि यह एक हृदयहीन रिवाज है। मगर जहां तक मैं जानता हूं, जन–साधारण में दहेज का प्रचलन नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों में ही यह रिवाज पाया जाता है, जो भारत के विशाल जन–समुद्र में बिन्दु मात्र है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि चुंकि दहेज की प्रथा अपेक्षाकृत बहुत थोड़े से लोगों तक सीमित है इसलिए हम उस पर कोई ध्यान न दें। यह प्रथा तो नष्ट होनी ही चाहिए। विवाह खरीद–फरोख्त की चीज तो रहनी ही नहीं चाहिए। इसलिये इस बुराई को कम करने के लिए जो भी किया जा सके वह जरूर किया जाये।

पर यह साफ है कि यह तथा दूसरी अनेक बुराईयां मेरी समझ में, तभी दूर की जा सकती है, जब देश की हालतों के मुताबिक, जो तेजी से बदलती जा रही है, लड़कों और लड़कियों को शिक्षा दी जाये। मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा का है जो विद्यार्थी के मस्तिष्क को इस तरह विकसित कर दे कि वह मानव–जीवन की हर तरह की समस्याओं को ठीक–ठीक हल कर सकने में सक्षम हो सके।''

गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जिसकी नींव न्याय, समानता व शान्ति पर आधारित हो। इस महती उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह परमावश्यक था कि समाज के दो आधारभूत अंगों–पुरूष व स्त्री के बीच समानता के सभी अंग सुनिश्चित व सुनिर्धारित हो। गांधी जी केवल ऐसे विचार प्रकट करके ही नहीं रह गये। उन्होंने उसे अमलीजामा देने का निश्चय किया।

गांधी जी की स्वराज की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं में से एक का संबंध महिला व महिला मुक्ति से है। वेश्यावृत्ति को 'एक सामाजिक बीमारी', बताते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि कोई इन महिलाओं की सहायता के लिए आगे नहीं आता तो इन्हें खुद परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए तथा पुरूषों के हाथों अपने शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। इसी प्रकार 'देवदासी' प्रथा के खिलाफ अपना रोष प्रक ट करते हुए। उन्होंने इस प्रथा को 'नैतिक कोढ़' तथा 'ईश्वर की अवमानना' के रूप में चिहिन्त किया।

इसी तरह तलाक प्रथा को भी सामाजिक बुराई मानते हुए गांधी जी कहते हैं, ''जो स्त्री नरम मिजाज की है और विरोध नहीं कर सकती या विरोध करने को तैयार भी नहीं होती, तलाक की सुविधा अन्यायी पति से उसका कोई बचाव नहीं करती। इस तरह की ज्यादतियों का ईलाज, कानून नहीं, बल्कि स्त्रियों की सच्ची शिक्षा है और पतियों की तरफ से होने वाले इस तरह के अमानुषिक बरताव के खिलाफ लोकमत तैयार करना है। इसलिये पत्नी चाहे तो विवाह बंधन तोड़े बिना पति के घर से अलग रह सकती है और यह समझ सकती है कि मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अलबत्ता, हिन्दू पत्नी को तलाक तो नहीं मिल सकता, मगर दो और कानूनी उपाय हैं। एक है मामूली मारपीट के अपराध में पति को सजा दिलाना और दूसरा है उससे जीविका का खर्च वसूल करना। अनुभव मुझे बताता है कि सब मामलों में नहीं तो ज्यादातर यह ईलाज बिलकुल बेकार है। इससे सदाचारिणी स्त्री को कोई राहत नहीं मिलती और पति के सुधार का सवाल असंभव नहीं तो कठिन जरूर बन जाता है। क्योंकि अन्त में तो समाज का और उससे भी ज्यादा पत्नी का लक्ष्य पति का सुधार करना ही होना चाहिए।''

निःसंदेह भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं पर गांधी जी ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके समाधान के मार्ग सुझाए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की स्थिति, दहेज तथा तलाक आदि सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण वे स्त्रियों की अशिक्षा को मानते थे तथा इन्हें दूर करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देते थे। उनका विचार था कि समाज में स्त्री और पुरूष में कोई भेद नहीं होना चाहिए तथा स्त्रियों को अपने अधिकारों से वंचित करने के पुरूषों के कुचक्र को उन्होंने कटु आलोचना की तथा इस संबंध में धर्मशास्त्रों में दिये गये संदर्भों को अनुचित ठहराया। यद्यपि वे विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थक नहीं थे, तथापि उनका विचार था कि बाल विवाह की समाप्ति से विधवाओं की समस्या का समाधान हो सकेगा। संक्षेप में, गांधी जी भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति से चिंतित रहे तथा उनके उत्थान के लिए प्रयास करते रहे।

सन्दर्भ

1. प्रतिभा जैन – गांधी चिन्तन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,
2. ताराचंद वर्मा (सं.) – गांधी जी और शिक्षा,
3. कृष्ण दत्त भट्ट – गांधी जीवन सूत्र,
4. धोरेन्द्र मोहन दत्त – महात्मा गांधी का दर्शन,
5. सुरजीत कौर जौली – गांधीः एक अध्ययन, पृ. 288
6. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय – खण्ड 42
7. प्रतिभा जैन – पूर्वोद्धृत, 91
8. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय – खण्ड 41
9. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय – उपरोक्त